आर एफ डी

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

हेतु

परिणामी रूपरेखा दस्तावेज

(2010-2011)

खण्ड 1 :

विज़न, मिशन और कार्य

विज़न

उत्तम कार्यशील दशाएं तथा श्रमिकों के जीवन की उन्नत गुणवत्ता, भारत में बच्चों से संकटपूर्ण सेक्टरों में श्रम न कराया जाना सुनिश्चित करना तथा रोजगार सेवाओं एवं कौशल विकास द्वारा रोजगारपरकता का स्थायी आधार पर संवर्धन करना।

मिशन

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी उपाय प्रदान करने, कार्य की दशाओं को विनियमित करने, श्रमिकों के व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, संकटपूर्ण व्यवसायों व प्रक्रमों से बाल श्रम के उन्मूलन, श्रम कानूनों का प्रवर्तन सुदृढ़ बनाने तथा कौशल विकास एवं रोजगार सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नीतियां/कार्यक्रम/योजनाएं/परियोजनाएं स्थापित एवं क्रियान्वित करते हुए श्रमिकों की कार्यशील दशाएं सुधारना व उनके जीवन की गुणवत्ता उन्नत बनाना।

उद्देश्य

1. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा के उपायों का संवर्धन करना।
2. संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
3. संकटपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रमों से बाल श्रम का उन्मूलन करना।
4. कौशल विकास को बढ़ावा देना
5. रोजगार सेवाओं को सुदृढ़ बनाना
6. औद्योगिक विवादों की रोकथाम एवं निबटान तथा श्रम कानूनों की प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाना।
7. कर्मचारियों की सुरक्षा दशाएं एवं सुरक्षा उन्नत बनाना
8. विधायी उपायों के लिए कदम उठाना

कार्य

1. श्रम तथा प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना एवं केंद्रीय रूप से मजदूरियों, तथा कार्य की अन्य दशाओं को विनियमित करना।
2. जिन इकाईयों में केंद्र सरकार, उपयुक्त सरकार है, उनके संदर्भ में औद्योगिक संबंध उन्नत बनाने के लिए श्रम कानून अधिनिर्णयों, अनुबंधों, अनुशासन संहिता इत्यादि का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

खण्ड 1 :

विज़न, मिशन और कार्य

3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में श्रम कानूनों, औद्योगिक संबंधों, कार्मिक नीतियों तथा प्रविधियों इत्यादि के क्रियान्वयन संबंधी मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करना।

4. खदानों एवं फैक्टरियों में कार्य की दशाओं व सुरक्षा नियमों को विनियमित करना।

5. राष्ट्रीय मजदूरी नीति के लिए व्यावहारिक कार्य करना तथा मजदूरियों, समस्त भत्तों एवं अन्य संबंधित मामलों के डेटा का रखरखाव करना।

6. विविध श्रम विषयों पर पूछताछ, सर्वेक्षण तथा अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने के लिए आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करना।

7. प्रशिक्षण-सह-मार्गदर्शन केंद्रों के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की रोजगार संभावनाओं से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करना।

8. खनन उद्योग तथा बीड़ी उत्पादन में नियुक्त श्रमिकों को सुविधाएं प्रदान करना।

9. बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास में सहायता करना।

10. असंगठित श्रमिकों के कुछ निश्चित सेक्शनों के लिए कल्याणकारी उपाय करना।

11. औद्योगिक संबंधों तथा श्रम के क्षेत्र में सामान्य प्रशिक्षण, शिक्षा, अनुसंधान एवं सलाहकार सेवाओं के दायित्व स्वीकार करना।

12. राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में कुशाग्रतापूर्वक भागीदारी के लिए श्रमिकों के सभी सेक्शनों को शिक्षित बनाना।

13. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संचालन की निगरानी करना।

14. राष्ट्रीय रोजगार सेवा के लिए नीतिगत रूपरेखा, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन रखना।

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
1. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा के उपायों का संवर्धन करना।	13.00	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का क्रियान्वयन	शामिल किए गए जिलों की संचयी संख्या	सं.	3.71	310	295	280	260	240
			जारी किए गए स्मार्ट कार्ड की संचयी संख्या	सं. (करोड़ में)	3.71	2.05	1.90	1.80	1.70	1.60
			अध्ययन का समापन और कार्य योजना का निर्माण	तारीख	1.86	01/01/2011	15/01/2011	01/02/2011	28/02/2011	31/03/2011
		बीड़ी श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन	बीड़ी बनाने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति मंजूर	सं. (लाख में)	1.39	16	15	14	13	12
			घर बनाने के लिए अनुदान की मंजूरी	सं.	1.39	31000	29000	27900	24800	21700
			योजना के क्रियान्वयन के मूल्यांकन के लिए अध्ययन करवाया जाना।	तारीख	0.93	01/01/2011	15/01/2011	01/02/2011	16/02/2011	28/02/2011
2. संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।	10.00	कर्मचारियों की राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के क्रियान्वयन की दक्षता बढ़ाना	नये केन्द्र खोले	सं.	1.00	60	54	49	45	40
			राज्य सरकार के अस्पतालों में आरक्षित बिस्तरों सहित कुल बिस्तरों की संख्या में वृद्धि	सं.	2.00	350	340	325	300	275
			चिकित्सा कर्मियों (डॉक्टरों) में वृद्धि	सं.	2.00	500	470	445	425	400

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
			ईएसआईसी और ईएसआईसी मॉडल अस्पतालों के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आईएसओ प्रमाणन हासिल करना	सं.	1.00	8	7	6	5	4
		कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के लाभार्थियों को लाभ प्रदान करना	वृद्धावस्था लाभ (30 दिनों के अन्दर दावों के निस्तारण का प्रतिशत)	%	1.00	75	70	65	60	55
			प्रतिष्ठानों की संख्या में वृद्धि	सं.	1.00	45000	42000	40000	38000	36000
			सदस्यता में वृद्धि	सं.	1.00	2500000	2200000	2000000	1800000	1600000
			कम्प्यूटरीकृत कार्यालयों की संख्या	सं.	1.00	119	100	95	90	85
3. संकटपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रमों से बाल श्रम का उन्मूलन करना।	10.00	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम का संचालन	विशेष स्कूलों में नामांकित बच्चे	सं.	4.00	42000	40000	35000	32000	28000
			विशेष स्कूलों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाना	सं.	4.00	40000	38000	36000	32000	28000
		बाल श्रम उन्मूलन के लिए भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का कन्वर्जेन्स	एनसीएलपी और बाल श्रमिकों के अभिभावकों सहित उसके लाभार्थियों तक विस्तारित की गई कल्याण योजनाओं की संख्या	सं.	2.00	2	1	0	0	0

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
4. कौशल विकास को बढ़ावा देना	19.00	विश्व बैंक की सहायता से आईटीआई'ज को सीओई के रूप में उन्नयन करना।	जारी की गई धनराशि	रु. (करोड़ में)	3.80	235	211.5	188	164.5	141
		सरकारी आईटीआई'ज का सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा उन्नयन करना।	आईटीआई की आईएमसी सोसाइटियों को ब्याज मुक्त लोन प्रदायन	रु. (करोड़ में)	5.70	750	675	600	525	450
		कौशल विकास कार्यक्रम के तहत मॉडुलर एम्प्लॉयबल स्किल्स (एमईएस) पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना।	एमईएस के तहत प्रशिक्षण पाने वाले लोग	सं.	4.75	300000	270000	240000	210000	180000
		महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना,	लंबी अवधि के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने के लिए महिलाओं की संख्या	सं.	0.95	3700	3330	2960	2590	2220
			कम अवधि के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने के लिए महिलाओं की संख्या	सं.	0.95	3600	3240	2880	2520	2160
		संबद्ध आईटीआई की कार्यकुशलता का पता लगाने के लिए अध्ययन की शुरूआत करना	अध्ययन का अवार्ड	तारीख	2.85	31/01/2011	15/02/2011	28/02/2011	15/03/2011	31/03/2011

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
5. रोजगार सेवाओं को सुदृढ बनाना	10.00	अनुसूचित जाति/जनजाति/ पीडब्ल्यूडी आदि के प्राशिक्षण की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए अध्ययन का अयोजन और अवार्ड	अध्ययन का अवार्ड	तारीख	2.00	30/06/2010	15/07/2010	31/07/2010	16/08/2010	31/08/2010
		रोजगाररत व्यक्तियों पर रिपोर्ट तैयार किया जाना	रिपोर्ट की तैयारी	तारीख	1.00	22/05/2010	15/06/2010	30/06/2010	15/07/2010	31/07/2010
		कोचिंग, मार्गदर्शन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के नौकरी के इच्छुकों का कल्याण	रोजगार पाने के इच्छुक अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षित व्यक्तियों को व्यावसायिक और कैरियर संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध कराना	सं.	0.50	135000	121000	108000	94500	81000
			रोजगार पाने के इच्छुक अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्ति की प्रतीक्षा अवधि के दौरान टाइपिंग और शॉर्टहैंड का प्रशिक्षण उपलब्ध कराना	सं.	0.50	10500	9450	8400	7350	6300

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
			प्रतियोगी परीक्षाओं/ ग्रेड सी पदों के लिए सेलेक्शन टेस्ट के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को तैयारी के लिए कोचिंग उपलब्ध कराना	सं.	0.50	1100	990	880	770	660
			अनुसूचित जाति/जनजाति के रोजगार इच्छुक व्यक्तियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना	सं.	0.50	1000	900	800	700	600
		निःशक्तों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (वीआरसी) तथा कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाओं (एसटीडब्ल्यू) एवं ग्रामीण पुनर्वास केंद्रों (आरआरसी) का संचालन और स्थापनाएं।	वीआरसी की भर्ती	सं.	1.00	28000	25200	22400	19600	16800
			प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन पूरा हुआ	सं.	1.00	26500	23850	21200	18550	15900
			पीडब्ल्यूडी का पुनर्वास	सं.	1.00	9000	8100	7200	6300	5400
		एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेज (रोजगार कार्यालय) (ईईएमएमपी) का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण।	एजेंसी का चयन	तारीख	2.00	30/09/2010	15/10/2010	31/10/2010	15/11/2010	30/11/2010

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
6. औद्योगिक विवादों की रोकथाम एवं निबटान तथा श्रम कानूनों की प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ बनाना।	10.00	श्रमिकों को राहत एवं लाभ प्रदान करने के लिए श्रम कानूनों का प्रवर्तन	बीओसीडब्ल्यू अधिनियम सहित सभी श्रम कानूनों के तहत की गई जांच	सं.	2.00	41000	36900	32800	28700	24600
			गड़बड़ी करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ बीओसीडब्ल्यू अधिनियम सहित सभी श्रम कनूनों के तहत मुकदमें दायर	सं.	1.00	12050	10845	9640	8435	7230
			गड़बड़ी करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मुकदमें दायर	सं.	1.00	2050	1845	1640	1435	1230
		औद्योगिक विवादों का निबटारा	औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत नियोक्ताओं और कामगरों/यूनियनों के बीच समझौता कराया गया।	सं.	2.00	2000	1800	1600	1400	1200
			औद्योगिक विवाद खत्म किए गए।	सं.	2.00	4950	4450	3960	3465	2970
		केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम) के कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु कम्प्यूटरों का प्राविधान	कंप्यूटर प्रदान किए गए	सं.	1.00	75	68	60	53	45
		केंद्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) के अधिकारियों का प्रशिक्षण।	अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया	सं.	1.00	100	90	80	70	60

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
7. कर्मचारियों की सुरक्षा दशाएं एवं सुरक्षा उन्नत बनाना	10.00	श्रमिकों की सुरक्षा दशाओं एवं सुरक्षा बेहतर बनाना और फैक्टरियों तथा गोदियों में कार्यशील दशाएं एवं सुरक्षा में सुधार	डायरेक्ट्रेट जेनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस एंड लेबर इंस्टीट्यूट (डीजीएफएएसएलआई) के सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट (सीएलआई) और रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट (आरएलआई) स्थिति विभिन्न प्रयोगशालाओं का समुन्नयन	रु. (करोड़ में)	1.00	2.7	2.5	2.25	2.0	1.75
			डीजीएफएएसएलआई द्वारा अध्ययनों/सर्वेक्षणों का आयोजन	सं.	2.00	50	45	42	38	35
			प्रमुख बंदरगाहों में प्रवर्तन संबंधी क्रियाकलाप (जहाजों, कंटेनरों आदि का निरीक्षण)	सं.	1.00	2750	2475	2200	2000	1885
			रेस्पिरेटरी और नॉन-रेस्पिरेटरी पीपीई की जांच	सं.	1.00	700	630	575	540	525
		खदानों में कार्यशील दशाओं में सुधार।	डायरेक्ट्रेट जेनरल माइंस सेफ्टी (डीजीएमएस) द्वारा निरीक्षण	सं.	2.00	7700	7500	7250	7000	6750
			डीजीएमएस द्वारा पूछताछ	सं.	2.00	1400	1350	1300	1250	1200
			डीजीएमएस द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया	सं.	1.00	148	133	118	104	89

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
8. विधायी उपायों के लिए कदम उठाना	5.00	11 प्रमुख अधिनियमों की समीक्षा / अद्यतनीकरण	ऐसे अधिनियम जिनके प्रस्तुतिकरण/विचार-विमर्श और जिन्हें पारित करने के लिए संसद को नोटिस भेजा गया	सं.	2.00	3	2	1	0	0
			ऐसे अधिनियम जिनपर कैबिनेट द्वारा संशोधन के प्रस्ताव लाने का निर्णय किया गया	सं.	2.00	5	4	3	2	1
			ऐसे अधिनियम जिनपर सचिवों की समिति ने प्रस्तावित संशोधन की अनुशंसा की।	सं.	1.00	3	2	1	0	0
* आरएफडी प्रणाली का कार्यक्षम संचालन	5.00	अनुमोदन हेतु प्रारूप समय से जमा किया जाना	समय पर प्रस्तुत	तारीख	2.00	05/03/2010	08/03/2010	09/03/2010	10/03/2010	11/03/2010
		परिणामों को समय पर जमा	समय पर प्रस्तुत	तारीख	1.00	02/05/2011	03/05/2011	04/05/2011	05/05/2011	06/05/2011
		रणनीतिक योजना को अंतिमीकृत करना	सामरिक योजना का अगले 5 साल के लिए अंतिम रूप	तारीख	2.00	10/12/2010	15/12/2010	20/12/2010	24/12/2010	31/12/2010
* मंत्रालय/विभाग की आंतरिक दक्षता/ अनुक्रियाशीलता/सेवा प्रदायन में वृद्धि	6.00	सभी दायित्व केन्द्रों (सबोर्डिनेट ऑफिस, अटैच्ड ऑफिस, स्वायत्तशासी निकायों) के लिए आरएफडी का विकास	शामिल किए गए आरसी का प्रतिशत	%	2.00	100	95	90	85	80

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
		सेवोत्तम का क्रियान्वयन	नागरिक चार्टर के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण और पुनरावलोकन के लिए एक सेवोत्तम का सृजन।	तारीख	1.00	01/10/2010	05/10/2010	11/10/2010	15/10/2010	20/10/2010
			जन शिकायतों के निपटारे और उनपर निगरानी रखने के लिए एक सेवोत्तम कम्प्लाइएंट सिस्टम की स्थापना।	तारीख	1.00	01/10/2010	05/10/2010	11/10/2010	15/10/2010	20/10/2010
			सिटीजन/क्लाइंट चार्टर का पुनरीक्षित मसौदे का पुर्नप्रस्तुकतिकरण।	%	1.00	100	95	90	85	80
			ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्मr के क्रियान्वरयन का इंडिपेंडेंट ऑडिट (शिकायत निवारण प्रकोष्ठr के क्रियान्वरयन का स्वितंत्र लेखा परीक्षण)।	%	1.00	100	95	90	85	80
* फाइनेन्सियल एकाउंटबिलिटी फ्रेमवर्क का अनुपालन सुनिश्चित करना।	2.00	सीएंडएजी (C&AG) के ऑडिट पैराज के संदर्भ में एटीएन (ATNs) का समयबद्ध प्रस्तुटतिकरण।	वर्ष के दौरान सीएजी (CAG) द्वारा संसद में रिपोर्ट के प्रस्तु तिकरण की तिथि से नियत तिथि (4 माह) के भीतर प्रस्तु त एटीएन (ATNs) का प्रतिशत।	%	0.50	100	90	80	70	60

खण्ड 2 :
मुख्य उद्देश्य, सफलता सूचक और लक्ष्य के बीच प्रयोजन के लिए प्राथमिकताएं

उद्देश्य	भार	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	भार	लक्ष्य / मापदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	संतोषजनक	बुरा
						100%	90%	80%	70%	60%
		पीएसी (PAC) रिपोर्ट्स के संदर्भ में पीएसी सचिवालय को एटीआर (ATRs) का समयबद्ध प्रस्तुभतिकरण।	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद में रिपोर्ट के प्रस्तु तिकरण की तिथि से नियत तिथि (6 माह) के भीतर प्रस्तु त एटीआर (ATRs) का प्रतिशत।	%	0.50	100	90	80	70	60
		31.3.2010 से पूर्व संसद को सौंपी गई सीएंडएजी (C&AG) रिपोर्ट्स के ऑडिट पैरा के संदर्भ में लंबित एटीएन (ATNs) का शीघ्र निस्तारण।	साल के दौरान निबटाए गए बकाया एटीएन का प्रतिशत	%	0.50	100	90	80	70	60
		31.3.2010 से पूर्व संसद को सौंपी गई पीएसी (PAC) रिपोर्ट्स के संदर्भ में लंबित एटीआर (ATRs) का शीघ्र निस्तारण।	साल के दौरान निबटाए गए बकाया एटीआर का प्रतिशत	%	0.50	100	90	80	70	60

* अनिवार्य उद्देश्य(यों)

खण्ड 3 :

सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष 08/09 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 09/10 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 10/11 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य
1 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा के उपायों का संवर्धन करना।	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का क्रियान्वयन	शामिल किए गए जिलों की संचयी संख्या	सं.	105	200	295	400	500
		जारी किए गए स्मार्ट कार्ड की संचयी संख्या	सं.(करोड़ में)	0.40	1.2	1.90	2.4	3.6
		अध्ययन का समापन और कार्य योजना का निर्माण	तारीख	--	--	15/01/2011	--	--
	बीड़ी श्रमिकों तथा उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन	बीड़ी बनाने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति मंजूर	सं. (लाख में)	15.50	16	14	14	14
		घर बनाने के लिए अनुदान की मंजूरी	सं.	35354	28970	29000	34000	35000
		योजना के क्रियान्वयन के मूल्यांकन के लिए अध्ययन करवाया जाना	तारीख	--	--	15/01/2011	--	--
2 संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।	कर्मचारियों की राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के क्रियान्वयन की दक्षता बढ़ाना	नये केन्द्र खोले	सं.	46	54	54	65	40
		राज्य सरकार के अस्पतालों में आरक्षित बिस्तरों सहित कुल बिस्तरों की संख्या में वृद्धि	सं.	12	100	340	350	300
		चिकित्सा कर्मियों (डॉक्टरों) में वृद्धि	सं.	0	763	470	500	450

खण्ड 3 :

सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष 08/09 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 09/10 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 10/11 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य
		ईएसआईसी और ईएसआईसी मॉडल अस्पतालों के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आईएसओ प्रमाणन हासिल करना	सं.	44	12	7	0	0
	कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के लाभार्थियों को लाभ प्रदान करना।	वृद्धावस्था लाभ (30 दिनों के अन्दर दावों के निस्तारण का	%	63.96	70	70	80	85
		प्रतिष्ठानों की संख्या में वृद्धि	सं.	40361	40000	42000	50000	50000
		सदस्यता में वृद्धि	सं.	2152771	2400000	2200000	2600000	2600000
		कम्प्यूटरीकृत कार्यालयों की संख्या	सं.	--	27	100	0	0
3 संकटपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रमों से बाल श्रम का उन्मूलन करना।	राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम का संचालन।	विशेष स्कूलों में नामांकित बच्चे	सं.	30000	40000	40000	50000	--
		विशेष स्कूलों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाया जाना	सं.	30000	30000	40000	50000	--
	बाल श्रम उन्मूलन के लिए भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का कन्वर्जेन्स	एनसीएलपी और बाल श्रमिकों के अभिभावकों सहित उसके लाभार्थियों तक विस्तारित की गई कल्याण योजनाओं की संख्या	सं.	1	2	1	1	--

खण्ड 3 :

सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष 08/09 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 09/10 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 10/11 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य
4 कौशल विकास को बढ़ावा देना	विश्व बैंक की सहायता से आईटीआई'ज को सीओई के रूप में उन्नयन करना।	जारी की गई धनराशि	रु. (करोड़ में)	219.89	240.00	211.5	240.00	253.65
	सरकारी आईटीआई'ज का सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा उन्नयन करना।	आईटीआई की आईएमसी सोसाइटियों को ब्याज मुक्त लोन प्रदायन	रु. (करोड़ में)	749.99	750.01	675	490.00	--
	कौशल विकास कार्यक्रम के तहत मॉडुलर एम्प्लॉयबल स्किल्स (एमईएस) पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना।	एमईएस के तहत प्रशिक्षण पाने वाले लोग	सं.	115306	451547	270000	520000	--
	महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना,	लंबी अवधि के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने के लिए महिलाओं की संख्या	सं.	3300	3650	3330	3800	3850
		कम अवधि के पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने के लिए महिलाओं की संख्या	सं.	3000	3500	3240	3700	3800
	संबद्ध आईटीआई की कार्यकुशलता का पता लगाने के लिए अध्ययन की शुरूआत करना	अध्ययन का अवार्ड	तारीख	--	--	15/02/2011	--	--
5 रोजगार सेवाओं को सुदृढ़ बनाना	अनुसूचित जाति/जनजाति/ पीडब्ल्यूडी आदि के प्राशिक्षण की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए अध्ययन का अयोजन और अवार्ड	अध्ययन का अवार्ड	तारीख	--	--	15/07/2010	--	--

खण्ड 3 :

सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष 08/09 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 09/10 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 10/11 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य
	रोजगाररत व्यक्तियों पर रिपोर्ट तैयार किया जाना	रिपोर्ट की तैयारी	तारीख	--	--	22/05/2010	--	--
	कोचिंग, मार्गदर्शन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के नौकरी के इच्छुकों का कल्याण	रोजगार पाने के इच्छुक अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षित व्यक्तियों को व्यावसायिक और कैरियर संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध कराना।	सं.	130000	130000	121000	153000	155000
		रोजगार पाने के इच्छुक अनुसूचित जाति/जनजाति के शिक्षित व्यक्तियों को नियुक्ति की प्रतीक्षा अवधि के दौरान टाइपिंग और शॉर्टहैंड का प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।	सं.	1000	10000	9450	11000	11900
		प्रतियोगी परीक्षाओं/ ग्रेड सी पदों के लिए सेलेक्शन टेस्ट के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को तैयारी के लिए कोचिंग उपलब्ध कराना।	सं.	1100	1050	990	1500	1500
		अनुसूचित जाति/जनजाति के रोजगार इच्छुक व्यक्तियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करना।	सं.	800	1000	900	1500	1500

खण्ड 3 :

सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष 08/09 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 09/10 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 10/11 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य
	निःशक्तों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र (वीआरसी) तथा कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाओं (एसटीडब्ल्यू) एवं ग्रामीण पुनर्वास केंद्रों (आरआरसी) का संचालन और स्थापनाएं।	वीआरसी की भर्ती	सं.	26000	27000	25200	30000	30000
		प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन पूरा हुआ	सं.	25500	26000	23850	29000	29000
		पीडब्ल्यूडी का पुनर्वास	सं.	8500	8700	8100	10000	10000
	एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेज (ईईएमएमपी) का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण।	एजेंसी का चयन	तारीख	--	--	15/11/2010	--	--
6 औद्योगिक विवादों की रोकथाम एवं निबटान तथा श्रम कानूनों की प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाना।	श्रमिकों को राहत एवं लाभ प्रदान करने के लिए श्रम कानूनों का प्रवर्तन	बीओसीडब्ल्यू अधिनियम सहित सभी श्रम कानूनों के तहत की गई जांच।	सं.	39376	40000	36900	41000	41000
		गड़बड़ी करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ बीओसीडब्ल्यू अधिनियम सहित सभी श्रम कनूनों के तहत मुकदमें दायर।	सं.	11905	12000	10845	12050	12100

खण्ड 3 :

सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष 08/09 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 09/10 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 10/11 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य
		गड़बड़ी करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मुकदमें दायर।	सं.	2089	2000	1845	2050	2050
	औद्योगिक विवादों का निबटारा	औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत नियोक्ताओं और कामगरों/यूनियनों के बीच समझौता कराया गया।	सं.	1810	1900	1800	2100	2150
		औद्योगिक विवाद खत्म किए गए।	सं.	4836	4900	4450	4950	5000
	केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम) के कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु कम्प्यूटरों का प्राविधान।	कंप्यूटर प्रदान किए गए।	सं.	94	74	68	75	75
	केंद्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) के अधिकारियों का प्रशिक्षण।	अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया।	सं.	170	103	90	100	100

खण्ड 3 :

सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष 08/09 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 09/10 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 10/11 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य
7 कर्मचारियों की सुरक्षा दशाएं एवं सुरक्षा ग हल्ल् उन्नत बनाना	श्रमिकों की सुरक्षा दशाओं एवं सुरक्षा बेहतर बनाना और फैक्टरियों तथा गोदियों में कार्यशील दशाएं एवं सुरक्षा में सुधार	डायरेक्ट्रेट जेनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस एंड लेबर इंस्टीट्यूट (डीजीएफएएसएलआई) के सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट (सीएलआई) और रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट (आरएलआई) स्थिति विभिन्न प्रयोगशालाओं का समुन्नयन।	रु. (करोड़ में)	1.31	2.3	2.5	2.75	2.80
		डीजीएफएएसएलआई द्वारा अध्ययनों/सर्वेक्षणों का आयोजन।	सं.	40	48	45	52	52
		प्रमुख बंदरगाहों में प्रवर्तन संबंधी क्रियाकलाप (जहाजों, कंटेनरों आदि का निरीक्षण)।	सं.	2293	2878	2475	2850	2900
		रेस्पिरेटरी और नॉन-रेस्पिरेटरी पीपीई की जांच।	सं.	262	417	630	750	800
	खदानों में कार्यशील दशाओं में सुधार।	डायरेक्ट्रेट जेनरल माइंस सेफ्टी (डीजीएमएस) द्वारा निरीक्षण।	सं.	6086	5773	7500	8000	8250
		डीजीएमएस द्वारा पूछताछ	सं.	1039	1009	1350	1425	1450
		डीजीएमएस द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया।	सं.	624	145	133	161	171

खण्ड 3 :

सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष 08/09 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 09/10 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 10/11 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य
8. विधायी उपायों के लिए कदम उठाना	11 प्रमुख अधिनियमों की समीक्षा / अद्यतनीकरण	ऐसे अधिनियम जिनके प्रस्तुतिकरण/विचार-विमर्श और जिन्हें पारित करने के लिए संसद को नोटिस भेजा गया।	सं.	--	--	2	--	--
		ऐसे अधिनियम जिनपर कैबिनेट द्वारा संशोधन के प्रस्ताव लाने का निर्णय किया गया।	सं.	--	--	4	--	--
		ऐसे अधिनियम जिनपर सचिवों की समिति ने प्रस्तावित संशोधन की अनुशंसा की।	सं.	--	--	2	--	--
* आरएफडी प्रणाली का कार्यक्षम संचालन	अनुमोदन हेतु प्रारूप समय से जमा किया जाना।	समय पर प्रस्तुत	तारीख					
	परिणामों को समय पर जमा करना।	समय पर प्रस्तुत	तारीख					
	रणनीतिक योजना को अंतिमीकृत करना।	सामरिक योजना का अगले 5 साल के लिए अंतिम रूप।	तारीख					
* मंत्रालय/विभाग की आंतरिक दक्षता/ अनुक्रियाशीलता/सेवा प्रदायन में वृद्धि	सभी दायित्व केन्द्रों (सबोर्डिनेट ऑफिस, अटैच्ड ऑफिस, स्वायत्तशासी निकायों) के लिए आरएफडी का विकास।	शामिल किए गए आरसी का प्रतिशत।	%					

खण्ड 3 :

सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष 08/09 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 09/10 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 10/11 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य
	सेवोत्तम का क्रियान्वयन	नागरिक चार्टर के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण और पुनरावलोकन के लिए एक सेवोत्तम का सृजन	तारीख					
		जन शिकायतों के निपटारे और उनपर निगरानी रखने के लिए एक सेवोत्तम कम्प्लाइएंट सिस्टम की स्थापना	तारीख					
		सिटीजन/क्लाइंट चार्टर का पुनरीक्षित मसौदे का पुर्नप्रस्तुकतिकरण।	%					
		ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म के क्रियान्वयन का इंडिपेंडेंट ऑडिट (शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के क्रियान्वयन का स्वतंत्र लेखा परीक्षण)।	%					
* फाइनेन्सियल एकाउंटबिलिटी फ्रेमवर्क का अनुपालन सुनिश्चित करना।	सीएंडएजी (C&AG) के ऑडिट पैराज के संदर्भ में एटीएन (ATNs) का समयबद्ध प्रस्तुटतिकरण।	वर्ष के दौरान सीएजी (CAG) द्वारा संसद में रिपोर्ट के प्रस्तु तिकरण की तिथि से नियत तिथि (4 माह) के भीतर प्रस्तु त एटीएन (ATNs) का प्रतिशत।	%					

खण्ड 3 :

सफलता सूचकों का रुझान मान

उद्देश्य	कार्यवाही	सफलता सूचक	इकाई	वित्तीय वर्ष 08/09 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 09/10 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 10/11 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 11/12 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 12/13 के लिए अनुमानित मूल्य
	पीएसी (PAC) रिपोर्ट्स के संदर्भ में पीएसी सचिवालय को एटीआर (ATRs) का समयबद्ध प्रस्तुभतिकरण।	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद में रिपोर्ट के प्रस्तु तिकरण की तिथि से नियत तिथि (6 माह) के भीतर प्रस्तु त एटीआर (ATRs) का प्रतिशत।	%					
	31.3.2010 से पूर्व संसद को सौंपी गई सीएंडएजी (C&AG) रिपोर्ट्स के ऑडिट पैरा के संदर्भ में लंबित एटीएन (ATNs) का शीघ्र निस्तारण।	साल के दौरान निबटाए गए बकाया एटीएन का प्रतिशत।	%					
	31.3.2010 से पूर्व संसद को सौंपी गई पीएसी (PAC) रिपोर्ट्स के संदर्भ में लंबित एटीआर (ATRs) का शीघ्र निस्तारण।	साल के दौरान निबटाए गए बकाया एटीआर का प्रतिशत।	%					

* अनिवार्य उद्देश्य(यों)

खण्ड 4:
मापन पद्धति दिशानिर्देशों और सफलता सूचकों के विवरण एवं परिभाषाएं

सफलता सूचकों के विवरण एवं परिभाषाएं, गतिविधियों के सापेक्ष इंगित हैं। मापन पद्धति दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार है।

औद्योगिक विवादों की रोकथाम एवं निबटान तथा श्रम कानूनों की प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाने के लिए उद्देश्यों के सापेक्ष सफलता के सूचकों का मूल्यांकन, क्षेत्र में प्रत्येक अधिकारी की मासिक मूल्यांकन रिपोर्ट के माध्यम से किया जाएगा।

असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों (पांच लोगों की यूनिट) के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके अंतर्गत स्मार्ट कार्ड के आधार पर रू. 30,000 तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है, 01.04.2008 से लागू हुई। यह स्कीम, प्रवासी श्रमिकों हेतु कार्ड मूल्य को विभाजित करते हुए स्मार्ट कार्ड की पोर्टेबिलिटी सुविधा प्रदान करती है। लाभार्थी, बीमा पैकेज प्रदान करने के लिए सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों के सेवाप्रदाताओं को सम्मिलित करते हुए बनाए गए पैनल में शामिल पूरे देश के किसी भी अस्पताल (सरकारी/निजी) में उपचार हेतु पात्र होता है। इसमें कोई आयु सीमा नहीं है, इसलिए वरिष्ठ नागरिकों को भी कवर किया गया है। प्रीमियम में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में साझेदारी की जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में प्रीमियम में 90:10 के अनुपात में साझेदारी की जाती है। चूंकि यह स्कीम, राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, इसलिए राज्यों की सहभागिता अनिवार्य है। परियोजना प्रस्तावों को तैयार करने में राज्य सरकारों को सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने निविदा दस्तावेज, संविदा दस्तावेज, लाभार्थियों के नामांकन हेतु टेम्पलेट आदि मॉडल दस्तावेज तैयार किए हैं। राज्य सरकारों को स्कीमों के लाभों के प्रति सहमत कराने के लिए मंत्रियों/उच्चस्तरीय अधिकारियों के साथ श्रृंखलाबद्ध बैठकें आयोजित की गईं। योजना की सफलता, राज्यों द्वारा प्रीमियम के राज्यांश का योगदान करने के लिए वचनबद्धता, विनिर्दिष्ट टेम्पलेट में बीपीएल आंकड़े तैयार करने, और आरएसबीवाई के अंतर्गत नामांकन हेतु क्षेत्रीय मुख्य अधिकारी उपलब्ध कराने के रूप में उनके सहयोग पर ही मुख्य रूप से निर्भर करती है।

खण्ड 4:
मापन पद्धति दिशानिर्देशों और सफलता सूचकों के विवरण एवं परिभाषाएं

बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति: बीड़ी श्रमिकों के ऐसे बच्चे जो कक्षा 1 या इससे ऊपर (पीजी और प्रोफेशनल डिग्रियां) में पढ़ रहे हैं, उन्हें रू. 250 से लेकर रू. 8000 तक प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। संबंधित कल्याण आयुक्त, आवेदन पत्रों की छंटनी करते हैं और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए स्वीकृति आदेश निर्गत करते हैं। यह छात्रवृत्ति, संबंधित स्कूल/कॉलेज के प्रधानाध्यापक के नाम से जारी बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में दी जाती है या इसे व्यक्ति के बचत बैंक खाते में जमा किया जाता है।

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि: राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष के लिए वर्ष 2010-11 में 1,000 करोड़ रुपए का बजट आबंटन के मद्देनजर यह ज्ञातव्य हो कि श्रम और नियोजन मंत्रालय को कोई निधि जारी नहीं की गई और वर्ष 2010-11 की 1,000 करोड़ की राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि वित्त मंत्रालय के पास पड़ी है।

बीडी श्रमिकों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं : बीडी श्रमिकों और उनके परिवारों को उन विविध स्थानों पर स्थित 204 डिस्पेंसरियों तथा 07 अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जहां बीड़ी श्रमिक संकेंद्रित हैं। श्रमिकों को अन्य विविध सुविधाएं, जैसे कि मातृत्व लाभ, परिवार कल्याण सुविधाएं, हृदय रोगों के लिए प्रतिपूर्ति (रू. 1.30 लाख), गुरदा प्रत्यारोपण के लिए रू. 2.00 लाख तक, कैंसर, छोटे ऑपरेशनों के लिए रू. 30,000/- तपेदिक, कुष्ठ एवं मानसिक रूग्णता इत्यादि के लिए। लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित श्रमिक को विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में संबंधित कल्याण आयुक्त के समक्ष आवेदन करना होता है।

बीड़ी श्रमिकों के लिए आवास अनुदानः बीड़ी श्रमिकों हेतु पुनरीक्षित एकीकृत आवास योजना के अंतर्गत, व्यक्तिगत बीड़ी श्रमिकों, सहकारी सामूहिक आवास समितियों, और राज्य सरकार द्वारा मकानों के निर्माण के लिए दो समान किश्तों में रू. 40,000 की अनुदान राशि प्रति आवास प्रदान की जाती है। प्रस्तावों को प्रक्रमित किया जाता है, मकानों के निरीक्षण किए जाते हैं तथा औचक निरीक्षण भी किए जाते हैं। स्वीकृत मकानों की संख्या, तथा मकानों के निर्माण हेतु अवमुक्त अनुदान राशि, सफलता के सूचक हैं।

खण्ड 4:

मापन पद्धति दिशानिर्देशों और सफलता सूचकों के विवरण एवं परिभाषाएं

वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए वास्तविक मूल्य एक सफलता सूचक यानी मकानों के निर्माण के लिए मंजूरी और सब्सिडी की रिहाई पुराने घरों का पूरा करने के लिए किए गए एक विशेष अभियान में शामिल है।सफलता, राज्य सरकारों तथा व्यक्तिगत बीड़ी श्रमिकों से श्रम कल्याण संगठनों के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त आवास प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करती है और मकानों के निर्माण की प्रगति से राज्य सरकार/व्यक्तिगत श्रमिकों/सहकारी सामूहिक आवास समितियों द्वारा श्रम कल्याण संगठनों के माध्यम से अवगत कराया जाता है। स्वीकृत मकानों की संख्या, तथा अवमुक्त की गई अनुदान राशि, सरकार द्वारा स्वीकृत बजट पर निर्भर करती है क्योंकि यह आयोजनेत्तर क्रियाकलाप है।

उद्देश्य 6 (औद्योगिक विवादों की रोकथाम एवं निबटान तथा श्रम कानूनों की प्रवर्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाना(, कार्यवाही 3, के अंतर्गत उल्लेखित कम्प्यूटरीकरण हेतु कम्प्यूटरों का प्राविधान निम्न रूप में लाभप्रद होगाः

क) निरीक्षणों, न्यायिक वादों, अधिनिर्णयों के क्रियान्वयन, विवादों के निबटारे, उपादान मामलों के भुगतान, दावा मामले, उपादान मामले इत्यादि के संबंध में डेटा बेस का (के भुगतान) संरेखण एवं पुनर्प्राप्ति, जो सीआईआरएम अधिकारियों की कार्यदक्षता एवं निष्पादन बढ़ाएगा।

ख) फॉलो-अप तथा उपचारात्मक कार्यवाही को व्यवस्थित करना-

एनसीएलपी योजना: एनसीएलपी योजना (उद्देश्य-1) की सफलता बाल श्रम की पहचान कर उन्हें योजना के तहत चलाए जा रहे स्पेशल स्कूलों में शिक्षा देकर औपचारिक शिक्षा व्यवस्था की मुख्य धारा में लाने में है। इनकी माप मुख्य रूप से जिलाधिकारियों की अध्यक्षता वाली एनसीएलपी सोसाइटियों की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट लेकर की जाती है। केन्द्रीय पर्यवेक्षण समिति का सदस्य होने के नाते राज्य सरकारों के श्रम विभाग बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों की निगरानी में शामिल होते हैं।

खण्ड 5:
अन्य विभागों से विशिष्ट निष्पादन अपेक्षाएं

लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना, व्यापक रूप में एकीकृत वित्त प्रभाग/व्यय विभाग द्वारा फाइलों के प्रभावी निस्तारण तथा डीओपीटी/यूपीएससी द्वारा रिक्तियों को भरे जाने, एवं जहां आवश्यक हो, मानवशक्ति बढ़ाने के लिए व्यय विभाग द्वारा अनुमोदन पर निर्भर करेगा।

श्रम एक 'समवर्ती' विषय है। यह इंगित करना प्रासंगिक है कि मंत्रालय के सरोकार क्षेत्र, वही क्षेत्र हैं जिनमें राज्य सरकारों द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई जाती है, जिन्हें मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित स्कीमों के तहत संसाधन भी आवंटित किए जाते हैं। यद्यपि विविध क्रियान्वयन पहलुओं पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्यों का दौरा करने के समय उनके साथ चर्चाओं, तथा क्षेत्रीय अधिकारी योजना के माध्यम से राज्य सरकारों से नियमित संपर्क रखा जाता है, लेकिन मंत्रालय के विविधा उद्देश्यों/क्रियाकलापों के अंतर्गत अनेक सफलता सूचकों की प्राप्ति, राज्य की प्रतिक्रिया तथा उनके द्वारा योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।

उद्देश्य3 - संकटपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रमों से बाल श्रम का उन्मूलन किया जाना -के संदर्भ में लक्ष्यों की प्राप्ति में रूकावटें

1) संकटपूर्ण व्यवसायों एवं प्रक्रमों से निकाले गए बाल श्रमिकों हेतु, बच्चों का विशेष स्कूलों में नामांकन, एनसीएलपी स्कीम में स्थापित मानदंडों के अंतर्गत एनसीएलपी समितियों द्वारा आयोजित सर्वेक्षण तथा किसी विशेष स्कूल हेतु ऐसे बच्चों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है।

2) चौदह वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले अनेक बच्चे हैं जो अपनी शिक्षा जारी रखने का विकल्प चुनने के बजाय रोजगार/स्व-रोजगार का विकल्प चुनते हैं।

3) विभिन्न राज्य अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न पाठ्यक्रम अपनाते हैं। किसी राज्य विशेष में स्थित एनसीएलपी स्कूलों में एकसमान पाठ्यक्रम अपनाने के लिए, राज्य श्रम विभाग द्वारा राज्य शिक्षा विभाग से सलाह लेते हुए पहल की जानी है। इसे ध्यान में रखा जाएगा कि विशेष स्कूलों में नामांकित, किसी विशेष श्रेणी से संबंधित तथा नगण्य शैक्षिक पृष्ठभूमि या

इससे रहित बच्चे किसी राज्य विशेष में स्कूलों हेतु विनिर्दिष्ट सामान्य शैक्षणिक पाठ्य पुस्तकें अपनाने की स्थिति में नहीं होते। इसके अतिरिक्त, इसके लिए विविध स्तरों पर कन्वर्जेन्स की अपेक्षा है।

4) विविध मंत्रालयोंयोजनाओं का एक विभागों द्वारा संचालित भारत सरकार की कल्याणकारी/ लक्षित समूह होता है जिस पर योजना लागू होती है, तथा बाल श्रमिकों एवं उनके परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए, योजना में संशोधन आवश्यक हो सकते हैं। योजनएं संशोधित करने के लिए विविध सरकारी एजेंसियों, जैसे कि योजना आयोग, व्यय वित्त समिति3 त्त समिति आदि से मंजूरी आवश्यक होती हैं। इसमेंराज्य वि/ महीने से लेकर 2 साल तक का समय लग सकता है। जैसा कि ज्ञात है कि बाल श्रमिक, निर्धनता का परिणाम होता है और मध्यम अनुमानों के अनुसार भारत में लगभग 30 करोड़ लोग गरीबीयापन कर रहे हैं-रेखा के नीचे जीवन-, और इस जनसंख्या के दस प्रतिशत भाग तक भी पहुंचने के लिए अत्यन्त व्यापक प्रयासों की आवश्यकता होगी।

5) खतरनाक जगहों से बालश्रम के उन्मूलन के लिए यह जरूरी है कि भारत सरकार तथा सभी राज्य सरकारों की कल्याण योजनाओं को अभिसरित किया जाए क्योंकि अधिकतर समस्याओं की मूल गरीबी है और सभी योजनाएं गरीबी उन्मूलन के लिए हैं। इसलिए, बाल श्रम की समस्या की जड़ प्रहार करने के लिए ग्रामीण विकास, शहरी मामले तथा गरीबी उन्मूलन, रेलवे, महिला एवं बाल विकास मंत्रलयों की कल्याण योजनाओं को अभिसरित किया गया है।

6) 2012-13 के लिए प्रस्तुत तथ्य यह ध्यान में रखकर दिए गए हैं कि यह योजना वर्तमान में केवल ग्यारहवीं योजना यानि 2011-12 के लिए है।

उद्देश्य4 - कौशल विकास को बढ़ावा देना -के संदर्भ में लक्ष्यों की प्राप्ति में रूकावटें

1. विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनराशियों का अवमुक्त किया जाना, राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर निर्भर है।

2. क) आईटीआई, सीधे राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं और सभी में उन्नयन/ आधुनिकीकरण की प्रक्रिया चल रही है इसलिए प्रासंगिक तिथि के अभाव में प्रशिक्षण या नियोजन से लाभान्वित व्यक्तियों का अनुश्रवण संभव नहीं है। इस प्रयोजन से एमआईएस विकसित किया जा रहा है।

ख) चूंकि आईटीआई राज्य सरकारों के अधीन हैं इसलिए आईटीआई में सीटों की संख्या में वृद्धि राज्य सरकारों की ओर से आने वाले गुणवत्ता प्रस्तावों पर निर्भर करती हैं।

3. एमईएस के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति, वित्त मंत्रालय द्वारा रू60 ..0 करोड़ प्रदान किए जाने पर निर्भर है।
4. पीपीपी के माध्यम से सरकारी आईटीआई'ज के उन्नयन की योजना के तहत ब्याज रहित ऋण का अवमुक्त किया जाना, वित्त मंत्रालय द्वारा पुनरीक्षित की जा रही योजना में व्यय प्राविधानों पर निर्भर होगा।

उद्देश्य2 - संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना -के संदर्भ में लक्ष्यों की प्राप्ति में रूकावटें

1. कार्यवाही1 के संदर्भ में सफलता सूचक (i) और (ii), लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपेक्षित राज्य सरकारों द्वारा चिकित्सा अवसंरचनाएं निर्मित करने के निर्णय पर निर्भर होंगे।

2. कार्यवाही2 के संदर्भ में सफलता सूचक (ii) और (iii), की प्राप्ति, समग्र आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर होगी, जो प्रतिष्ठानों की कवरेज तथा सदस्यता में वृद्धि से सीधे संबंधित है।

उद्देश्य7 - श्रमिकों की सुरक्षा दशाएं, तथा सुरक्षा में सुधार करना- के संदर्भ में लक्ष्यों की प्राप्ति में रूकावटें

1. डीजीएफएएसएलआई द्वारा कार्यवाही1 के संदर्भ में निरीक्षणों की संख्या से संबंधित सफलता सूचक (iii) प्रमुख बंदरगाहों पर पहुंचने वाले कार्गो जहाजों की संख्या पर निर्भर होगा, जिसमें हाल ही में एक गिरावट का रूझान देखा गया है।

2. डीजीएफएएसएलआई द्वारा कार्यवाही1 के संदर्भ में अध्ययनों, सर्वेक्षणों तथा निरीक्षणों के आयोजन से संबंधित सफलता सूचक (ii) तथा (iii) मानवशक्ति बढ़ाने पर निर्भर होंगे, जिसके लिए मामले को व्यय विभाग के समक्ष रखा किया गया है।

3. प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए कार्यवाही 2 के अनुरूप दिखाए गए उपलब्धि आंकड़े कैलेंडर वर्ष 2008-2009 के लिए हैं और इनका आकलन 2 क्लास/फोरमैन/ब्लास्टर/गैस टेस्टिंग/बाइंडिंग इंजन आदि जैसे 2 क्लास दक्षता प्रमाणपत्र द्वारा नहीं किया गया।

सभी योग्यता प्रमाण पत्रों के संयोजन से वर्ष200 910- के आंकड़ों की गणना की गई है

4. परियोजना के डीजीएमएस द्वारा निरीक्षण से संबंधित 2010-11 से 2012-13 के आंकड़े फील्ड/निरीक्षण अधिकारियों के रिक्त पद को भरने पर निर्भर करते हैं।

उद्देश्य 5—रोजगार सेवाओं का सशक्तिकरण के संदर्भ में लक्ष्य हासिल करने के रास्ते के अवरोध:

1. जहां तक रोजगार के इच्छुक अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के लिए कोचिंग, व्यावसायिक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के जरिए कल्याण कार्य संबंधी उठाए जाने वाले कदमों का सवाल है अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के लिए कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों के जरिए उपलब्ध कराए जाने वाली इन सेवाओं के लिए कोई लक्ष्य निर्धरित करना संभव नहीं है क्योंकि इन क्रियाकलापों के तहत उन उमीदवारों को सेवा प्रदान की जाती है जो इन सेवाओं की जरूरत महसूस करते हैं।

2. 31.10.2 तक एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के समुन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए एजेंसी के चयन के लिए जुलाई 2010 तक परियोजना को मंजूरी मिल जानी चाहिए।

ऑब्जेक्टिव 8—नए विधायी उपायों के संदर्भ में लक्ष्य हासिल करने के रास्ते के अवरोध:
निम्नलिखित 11 प्रमुख अधिनियमों की समीक्षा/नवीकरण के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति कैबिनेट, सचिवों की समिति की स्वीकृति तथा संसद के संबंधित सदन द्वारा विधेयकों के सदन में रखने या उस पर विचार करने और उसके पारित करने पर निर्भर करती है:

1. श्रम कानून (रिटर्न फाइल करने और किसी संस्था द्वारा रजिस्टर मेंटेन करने से छूट) अधिनियम, 1988।
2. एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959.
3. अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगर (रोजगार एवं सेवा की दशाओं का नियमन) अधिनियम, 1979.
4. बागान श्रम अधिनियम, 1951
5. कारखाना अधिनियम, 1948
6. खान अधिनियम, 1952
7. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
8. रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959अंतर राज्यीय - प्रवासी कामगार) रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन (अधिनियम, 1979
9. कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
10. उपदान अधिनियम, 1972